भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4937
दिनांक 23.07.2019/1 श्रावण, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

आतंकवाद की परिभाषा

†4937. श्री मनीश तिवारीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार के अनुसार 'आतंकवाद' और 'आतंकवादी' की परिभाषा क्या है;
(ख) सरकार हिंसा के किसी कृत्य को किस रीति से आतंक का कृत्य परिभाषित करती है;
(ग) क्या केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार ने हिंसा के किसी कृत्य को आंतकवाद के कृत्य के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया निर्धरित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) 1.4.2009 और 30.6.2019 के मध्य हुए आतंकवादी कृत्यों की घटनाओं वाली संख्या कितनी है; और
(ङ) उपरोक्त वर्णित तिथियों के मध्य आतंक कृत्यों के अपराधकर्ताओं के विरुद्ध केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और ऐसे कृत्यों का घटना-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): 'आतंकवादी कृत्य' को विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 15 के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, यूएपीए की धारा 2(1) (ट) में यह उल्लेख किया गया है कि 'आतंकवादी कृत्य' का वही अर्थ है, जो इसके बारे में धारा 15 में कहा गया है तथा 'आतंकवाद' और 'आतंकवादी' शब्दों का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा। हिंसा संबंधी कोई भी कृत्य, जो कि यूएपीए की धारा 15 के तहत शामिल है, आतंक संबंधी कृत्य है।

(घ) और (ड.): सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। केंद्र और राज्य स्तर पर आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों के बीच गहन एवं प्रभावी समन्वय तंत्र मौजूद है।

मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) को सुदृढ़ एवं पुनर्गठित किया गया है ताकि उसे केंद्र/संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ आसूचना का वास्तविक समय पर मिलान और आदान-प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटों काम करने में सक्षम बनाया जा सके।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को आतंकवाद संबंधी मामलों की जांच के लिए सुदृढ़ किया गया है। राज्यों ने आतंक संबंधी घटनाओं से निपटने के लिए विशेष बल गठित किए हैं और ऐसी घटनाओं से निपटने में राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न स्थानों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों को भी तैनात किया गया है। केंद्रीय एजेंसियां आसूचना को साझा करने तथा आतंक संबंधी मामलों की जांच हेतु राज्य बलों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित करती रही हैं।

पिछले दशक की तुलना में दिनांक 01.04.2009 से 30.06.2019 के दौरान आतंकवादी घटनाओं की संख्या में काफी कमी आई है। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के परिणामस्वरूप, सुरक्षा बल आतंकवाद से निपटने के लिए प्रभावी एवं सतत कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके कारण ऐसी घटनाओं की संख्या में उसके अनुरूप बदलाव आया है। पूर्व दशक की तुलना में पिछले दशक में देश के भीतरी भागों में आतंकवादी घटनाओं की संख्या में 70% की कमी आई है और यह 71 से घटकर 21 हो गई है तथा जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 86% की कमी आई है अर्थात यह 23,290 से घटकर 3187 हो गई है।

इसके अलावा, वर्ष 2018 की समान अवधि की तुलना में इस वर्ष के पूर्वार्ध में जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों की ओर से शुरू की जाने वाली घटनाओं में 28% की कमी आई है और सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों के विरूद्ध शुरू की गई कार्रवाई में 59% की वृद्धि हुई है।

****